झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची- 834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, Panchayat.jhr@gmail.com

153

: आदेश :

विषय :- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भुगतान में आयकर अधिनियम- 1961 एवं GST अधिनियम- 2017 तथा Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।

वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 399 दिनांक 20.06.2017 द्वारा Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 को लागू किया गया है । उक्त अधिसूचना के नियम- 12 सहपठित GST अधिनियम की धारा- 51(1B) सहपठित GST नियम की धारा- 2 (69) द्वारा पंचायतों को GST अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय निकाय के रूप में परिभाषित करते हुए GST पर TDS कटौती के लिए उत्तरदायी बनाया गया है ।

2. आयकर अधिनियम- 1961 की धारा- 192 तथा 194 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार भुगतानकर्त्ता को वेतन, संविदा, आपूर्ति कार्य(कार्य संविदा), किराया, परिवहन, तकनीकि/व्यावसायिक सेवाएँ, कमीशन इत्यादि के एवज में भुगतान में स्रोत पर कर कटौती (TDS) करना अनिवार्य है। भुगतानकर्त्ता को TDS की कटौती कर ससमय आयकर विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य है ।

3. आयकर आयुक्त (पटना) के पत्रांक F.No. CIT (TDS)/Pat./TDS/2021-22/2721 दिनांक 16.02.2022 द्वारा विभाग से सभी पंचायतों के लिए टैन संख्या के माध्यम से TDS कटौती कराने और यदि किसी पंचायत के पास टैन संख्या न हो तो उसे अविलम्ब प्राप्त कर लेने का आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

TDS कटौती तथा रिटर्न फाईल नहीं होने की स्थिति में संबंधित पंचायत आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई एवं दण्ड की भागी बन सकती है।

4. आयकर आयुक्त के उक्त पत्र एवं आयकर अधिनियम- 1961 तथा GST अधिनियम- 2017 एवं Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 के प्रावधानों के अनुपालन के आलोक में निम्नवत् आदेश दिये जाते हैं :-

....2/-.....

(152)

i. राँची त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ अपने सचिव/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से तत्काल Tax Rules, 2017 के प्रावधानों के आलोक में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे ।

ii. सभी पंचायती राज संस्थाएँ सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी कार्य/सेवा/आपूर्ति के एवज में भुगतान राशि 2.50 लाख रूपये से अधिक होने पर 2% की दर से (i.e 1% Jharkhand GST + 1% Central GST in case of Intra State Supply and 2% IGST in case of Inter-State Supply) अनिवार्य "स्रोत पर कर कटौती (TDS)" की जाय तथा कटौती की गयी राशि ससमय जमा करते हुए सावधिक रिटर्न फाईल किया जाय । वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर GST एवं आयकर कटौती किया जाय ।

iii. सभी पंचायती राज संस्थाएँ सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी योजना/आपूर्ति/सेवा प्राप्ति का कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व संवेदक/आपूर्तिकर्त्ता/लाभुक समिति के पास नियमानुसार वार्षिक टर्न ओभर राशि के अनुरूप आवश्यक होने पर GST संख्या तथा अनिवार्य रूप से पैन संख्या उपलब्ध हो। संवेदक/आपूर्तिकर्त्ता/लाभुक समिति द्वारा पैन संख्या नहीं होने का घोषणा पत्र प्राप्त होने पर TDS के रूप में आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त कटौती अनुमान्य होगी ।

iv. त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा TDS के अतिरिक्त आपूर्तिकर्त्ता/संवेदक से विविध रॉयल्टी, सेस, शुल्क, सेवा कर इत्यादि की भी कटौती एवं उसके भुगतान के लिए सरकारी विभाग/एजेन्सी तथा आयकर विभाग को PFMS से लिंक खाते में बतौर पंजीकृत भेंडर पंजीकृत करने एवं राशि अंतरण में संभावित तकनीकि कठिनाई को देखते हुए तत्कालिक उपाय के रूप में एक अलग बैंक खाता खोला जायेगा, जिसका संचालन सरकारी नियमानुसार होगा । उक्त खाते को "Govt. Taxes" नाम से 15वें वित्त आयोग के खाते में भेंडर पंजीकृत किया जायेगा। आयकर GST, रॉयल्टी, सेस, शुल्क इत्यादि सभी कटौतियाँ उक्त खाते में अंतरित होंगी तथा चेक अथवा संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा निर्धारित माध्यम से केवल कर, रॉयल्टी, शुल्क एवं सेस, सेवा के बदले में इत्यादि का भुगतान अनुमान्य होगा ।

v. कंडिका- 4 की उप कंडिका- (1), (2), (3) एवं (4) में वर्णित कार्य समय पर पूर्ण करने की जवाबदेही जिला परिषद् स्तर पर उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- सचिव पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव की होगी।

....3/-....

vi. टैन संख्या तथा GST संख्या प्राप्त करने, सावधिक रिटर्न फाईल करने तथा भुगतान में TDS की गणना करने के लिए विभाग द्वारा सूचिबद्ध CA Firm की सेवा प्राप्त की जा सकती है। उक्त के एवज में राशि का भुगतान 15वें वित्त आयोग की राशि/स्वयं के आय स्त्रोत से प्राप्त राशि से अनुमान्य होगा। कार्य के विरूद्ध भुगतेय राशि में एकरूपता के लिए दर का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. प्रखण्ड समन्वयक अपने प्रखण्ड तथा प्रखण्ड क्षेत्र के पंचायतों की सावधिक रिटर्न फाईल होने की सूचना जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देंगे तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रत्येक माह कर कटौती एवं सावधिक रिटर्न फाईल होने की समीक्षा करेंगे।

6. पंचायती राज विभाग आवश्यकतानुसार समय-समय पर दिशा-निदेश निर्गत करेगा।

04/05/2023

(शैल प्रभा कुजूर),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -01स्था0(मु0)- 11/2022.....1153...../प0, राँची, दिनांकः- 12.5.2023

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त/उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

04/05/2023

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -01स्था0(मु0)- 11/2022.....1153...../प0, राँची, दिनांकः- 12.5.2023

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग/वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

04/05/2023

सरकार के संयुक्त सचिव।